इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022—भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15291-मप्रविस-15-विधान-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १५ का संशोधन २. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १५ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारबार करने में आसानी (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण कारक है, जो राष्ट्र एवं राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. इस दृष्टि से, ऐसे कृत्यों को, जिनमें केवल वित्तीय हानियां अंतर्वलित हैं, अपराधमुक्त होना चाहिए. अतएव, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्र २९ सन् १९६४) की धारा १५ को यथोचित रूप से संशोधित करना प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे कि कारावास के दण्ड को हटा दिया जाए और तेंदूपत्ता अंतर्वलित अपराध की दशा में केवल शास्ति का दण्ड प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ सितम्बर, २०२२

डॉ. कुँवर विजय शाह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.